

राजस्थान सरकार
राजस्व विभाग-68

क्रमांक:- प. 687 राज-6/95/19

जयपुर, दिनांक: 17 जून, 1999

-: अधिसूचना :-

राजस्थान झू-राजस्व अधिनियम, 1956 द्वारा राजस्थान अधिनियम संख्या 15 वर्ष 1956 की धारा 20(ख)(iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा एतद्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित परीक्षार्थी अधिकारियों को जिन्हें कार्मिक विभाग की आज्ञा क्रमांक प. 3/2(क)-1/98 दिनांक 17.04.99 के द्वारा उनके नाम के सम्मुख जिलों में सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट प्रशिक्षण के पद पर पदस्थापित किया है, को सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक उनके क्षेत्राधिकार के भीतर नियुक्त करती है :-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	जिला जिसमें पदस्थापित किया गया है
1.	श्री सुबीर कुमार	जोधपुर
2.	श्री टदीपुडी रविकान्त	अलवर
3.	श्री वैभव गलरिया	उदयपुर

राज्यपाल की आज्ञा से

संजय दीक्षित
विशेष शासन सचिव, राजस्व

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव/ राजस्व संचो महोदय
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव, राजस्व।
3. जिला कलेक्टर, जोधपुर/अलवर/उदयपुर।
4. संबंधित संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
5. निवन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
7. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 17-6-99 में प्रकाशनाथ।
8. "राजिवा" राजस्व मण्डल, अजमेर।
9. विधि संहिताकरण विभाग।
10. उपनिवन्धक/चित्त एवं लेखक राजस्व मण्डल, अजमेर।
11. संबंधित सहायक कलेक्टर, राजस्थान।
12. कार्मिक क-1 विभाग।
13. रीक्षित पत्रावली।

विशेष शासन सचिव, राजस्व

मनोज